

क्र./मा.चि./ 2018/2075
प्रति,

मनेन्द्रगढ़/दिनांक 3/12/2018

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त
अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for widening & upgrading to 2 Lane with paved shoulder of NH-78 (New NH - 43) Katni - Gumla Road from Manendragarh to Dumariya (Baikunthpur) under NH corridor scheme in the State of Chhattisgarh, area - 36.99 ha. - regarding.
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/21393/2016

- संदर्भ :-
1. अ.प्र.मु.वं.सं. (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-645/1817 रायपुर दिनांक 15.06.2018 एवं 2397 दिनांक 27.07.2018
 2. आपका पत्र क्र./मा.चि./2355 अम्बिकापुर दिनांक 18.06.2018 एवं 1138 दिनांक 17.07.2018
 3. कार्या. पत्र क्र./मा.चि./2018/1258 दिनांक 06.07.2018
 4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ का पत्र क्र./क्यू/वाचक 1/2018 दिनांक 28.09.2018

— 00 —

विषयांतर्गत निवेदन है कि Public Works Department National Highway Zone Chhattisgarh द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत Widening & Upgrading of NH - 43 हेतु मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया वनमण्डल अंतर्गत कुल क्षेत्र 36.99 हेक्टे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को आपके पत्र क्र. 1138 दिनांक 17.07.2018 को अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) को प्रेषित किया गया था, जिसमें उन्होंने बिन्दु क्र. 07 के अवलोकन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जिसे संरक्षित वनक्षेत्र में किया गया था। इस पर आपत्ति दर्ज कर निर्देशित किया है कि गैर वनक्षेत्र में सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना बनाकर डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट में सी.डी. सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। इसके परिपालन में आवेदक संस्थान ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से योजना तैयार करने हेतु क्षेत्र की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ ने पत्र क्र./क्यू/वाचक 1/2018 दिनांक 28.09.2018 के द्वारा ग्राम चैनपुर के खसरा क्र. 105/1 रकबा 57.07 हेक्टे. उपलब्ध कराया है।

राजस्व भूमि खसरा न. 105/1 में रकबा 57.07 हेक्टे. का डी.जी.पी.एस. सर्वे कराया गया है जिस पर सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वर्ष 2018-19 हेतु राशि 660245 रुपये की दर से 37.00 हेक्टे. में सिंचित वृक्षारोपण का परियोजना प्रतिवेदन एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे मय सी.डी. सहित तैयार कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना,
डी.जी.पी.एस सर्वे एवं सी.डी. 4 सेट।

पृ.क्र./मा.चि./ 2018/2075
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू-प्रबंध एवं नोडल अधिकारी वनसंरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
2. कलेक्टर कोरिया, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़
मनेन्द्रगढ़/दिनांक 3/12/2018

वनमण्डलाधिकारी

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़